राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक 21.09.2020

आदेश

श्री नाजिम अली, श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित, श्री पूनम सिंह विश्नोई एवं श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी, आरपीएस के प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.09.2020 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **चयन वेतन श्रृंखला** की निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति की अभिशंषाओं की चयन सूची में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

सलेक्शन स्केल वर्ष 2017–18 :–

1. **श्री नाजिम अली**

श्री नाजिम अली, आरपीएस को रिव्यू डीपीसी द्वारा सीनियर स्केल वर्ष 2014–15 में किये गये चयन को निरस्त कर वर्ष 2013–14 में पदोन्नति दी जाकर इनकी वरिष्ठता श्रीमती निर्मला विश्नोई (सामान्य) के नाम के नीचे एवं सुश्री यश्विनी राजौरिया (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप सलेक्शन स्केल में पूर्व से ही चयनित श्री नाजिम अली की वरिष्ठता सलेक्शन स्केल में श्रीमती निर्मला विश्नोई (सामान्य) के नाम के नीचे एवं सुश्री यश्विनी राजौरिया (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

2. **श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित**

मा0 उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में डी.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 11266/14, खुशालसिंह व अन्य बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 की पालना में श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित का सीनियर स्केल में रिव्यू डीपीसी द्वारा वर्ष 2015–16 में चयन निरस्त किया जाकर वर्ष 2014–15 में चयन किये जाने के फलस्वरूप श्री पुरोहित को वर्ष 2017–18 में सलेक्शन स्केल में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित की वरिष्ठता श्री रघुवीर सिंह (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है। वर्ष 2017–18 की चयन सूची से श्री बाबूलाल विश्नोई का नाम विलोपित किया जाता है।

3. **श्री पूनम सिंह विश्नोई**

मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा श्री पूनम सिंह विश्नोई द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर दण्डादेश दिनांक 25.05.2016 को आदेश दिनांक 20.12.2018 द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण रिव्यू डीपीसी द्वारा सीनियर स्केल में वर्ष 2016–17 में किया गया चयन निरस्त कर वर्ष 2014–15 में चयन किये जाने के परिणामस्वरूप श्री विश्नोई को वर्ष 2017–18 में सलेक्शन स्केल में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री पूनम सिंह विश्नोई की वरिष्ठता श्री लक्ष्मीनारायण (एससी) के नाम के नीचे व श्री सुरेन्द्र कुमार दीक्षित के नाम के उपर निर्धारित की जाती है। वर्ष 2017–18 की चयन सूची से श्री अताउर्रहमान का नाम विलोपित किया जाता है।

सलेक्शन स्केल वर्ष 2018–19 :–

श्री अताउर्रहमान एवं श्री बाबूलाल विश्नोई का नाम वर्ष 2017–18 की चयन सूची से विलोपित किये जाने के कारण इनका वर्ष 2018–19 में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री अताउर्रहमान की वरिष्ठता श्री पूनाराम डूडी के नीचे व श्री रामदेव जलवानिया के ऊपर निर्धारित की जाती है तथा श्री बाबूलाल विश्नोई की वरिष्ठता श्री पूनाराम डूडी के नीचे व श्री अताउर्रहमान के उपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017–18 में सलेक्शन स्केल में चयनित श्री पूनम सिंह विश्नोई दिनांक 01.07.2018 व श्री खुशाल सिंह राजपुरोहित दिनांक 01.08.2018 को सेवानिवृत होने से उपलब्ध 02 रिक्तियों के प्रति श्री पूरण सिंह एवं श्रीमती प्रीति कांकाणी को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है, तथा श्री पूरण सिंह की वरिष्ठता श्री सरजीत मीणा (एसटी) के नीचे व श्रीमती प्रीति कांकाणी की वरिष्ठता श्री पूरण सिंह के नाम के नीचे एवं श्री राजकमल मीणा के उपर निर्धारित की जाती है।

जारी 2 पर

<u>सलेक्शन स्केल वर्ष 2019–20 :–</u>

1. श्री पूरण सिंह व श्रीमती प्रीति कांकाणी

श्री पूरण सिंह एवं श्रीमती प्रीति कांकाणी का चयन वर्ष 2018–19 में किये जाने के कारण इनका वर्ष 2019–20 में किया गया चयन निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

2. श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी

श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी द्वारा परिनिन्दा के दण्डादेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर गृह (ग्रुप–11) विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2019 द्वारा उक्त दण्डादेश को अपास्त किये जाने के कारण इनको रिव्यू डीपीसी द्वारा वर्ष 2017–18 से इनका चयन निरस्त कर वर्ष 2016–17 में सीनियर स्केल में पदोन्नत किया है, जिसके परिणामस्वरूप श्री भाटी को वर्ष 2019–20 में सलेक्शन स्केल में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री भाटी की वरिष्ठता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के नीचे एवं श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी के उपर निर्धारित की जाती है। श्री पूरण सिंह भाटी व श्रीमती प्रीति कांकाणी का चयन वर्ष 2018–19 में होने से उपलब्ध 02 व रिव्यू डीपीसी द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा का चयन हायर सुपरटाईम स्केल में किये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध 01 रिक्ति (कुल 03) के कारण उक्त चयन सूची से किसी भी अधिकारी का नाम विलोपित नहीं होगा तथा उपलब्ध 02 अतिरिक्त रिक्तियों के प्रति श्री दिलीप कुमार एवं श्री सहदेव सिंह का रिक्ति दिनांक 01.07.2019 के विरूद्व वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री दिलीप कुमार की वरिष्ठता श्री गुरमीत सिंह (एससी) के नाम के नीचे व श्री सहदेव सिंह की वरिष्ठता श्री दिलीप कुमार के नाम के नीचे एवं श्री राजेश मीणा (एसटी) के नाम के उपर निर्धारित की जाती है। पूर्व से चयनित श्री रतन लाल एवं श्री गुरमीत सिंह की रिक्ति दिनांक 01.07.2019 के स्थान पर दिनांक 01.04.2019 निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय राज0, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
5. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

21/09/2020
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस